



# उप-निर्देश प्रदाय कार्यालय

## 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

हॉल सं0-S-1, वसुन्धरा कॉम्प्लेक्स, सैक्ट-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

पत्रांक: 244

/ सं0प्र0 गाजियाबाद /

दिनांक: 16.3.2011

0182

पंजीकृत डाक द्वारा

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड हेतु प्रदेशन पत्र

सेवा में,

श्री कमिल कुमार यादव 5/0 श्री हरिप्रसाद  
17-जफ्फा मोरि, कार्पलसमाजवाड,  
मुरेल बाग, नई दिल्ली-05

"कामाग्नि"  
भूखण्ड नं. 18/44-11/1 के अर्ज (अ. ब.)  
दिनांक 16/3/11 के अर्ज (अ. ब.)

विषय:- वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- 18/44-11 की नीलामी के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित करना है कि दिनांक 05-5-2011 को हुई नीलामी में आपके द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- 18/44-11 के विरुद्ध बोली लगी उच्चतम बोली रू0- 54600-00 प्रति वर्ग मीटर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। यह प्रदेशन आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत किया गया है। जिसके विरुद्ध आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान करना है :-

- |       |                                                                                         |              |                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का क्षेत्रफल                                                       | 7175=00      | व0मी0।                                                                                                              |
| 2.(अ) | उच्चतम बोली रू0-                                                                        | 54600-00     | के अनुसार भूखण्ड का मूल्य रू0- 3917.55000-00                                                                        |
| (ब)   | कॉर्नर शुल्क उच्चतम बोली का 10 प्रतिशत                                                  | 54600-00     | रू0- 1054.725=00                                                                                                    |
| (स)   | फी-होल्ड शुल्क 12 प्रतिशत (अ, ब)                                                        |              | रू0- /                                                                                                              |
|       | कुल मूल्य                                                                               |              | रू0- 3928.0725=00                                                                                                   |
| 3.    | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह में स्वीकृत मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि रू0- | 785.62006=00 | जिसमें टोकन धनराशि रू0- 2169.7800-00 के समायोजन होने के उपरान्त शेष धनराशि जोकि दिनांक 31-5-2011 तक जमा की जानी है। |
| 4.    | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से छः माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू0-  | 3928.0973=00 | जोकि दिनांक 31-8-2011 तक जमा की जानी है।                                                                            |
| 5.    | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से नौ माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू0-  | 3928.0973=00 | जोकि दिनांक 30-11-2011 तक जमा की जानी है।                                                                           |
| 6.    | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू0- | 3928.0973=00 | जोकि दिनांक 28-2-2012 तक जमा की जानी है।                                                                            |



आईएसओ 9001-2000 प्रमाणित



7. स्वीकृत मूल्य की शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु०- 1964.06800.00 की 15 प्रतिशत ब्याज सहित 72 मासिक किश्तें देनी होंगी। किश्त की धनराशि रु०- 4153.962.00 होगी जोकि दिनांक 01.03.2012 से देय होगी। शेष किश्तें इसी कम में आगे देय होंगी जिसका भुगतान उसी माह के अन्तिम कार्यदिवस तक किया जा सकता है। विलम्ब की दशा में नियमानुसार 19 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देना होगी।

8. अ - विक्रय विलेख निष्पादन शुल्क

रु०- 300.00

- ब - विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत

रु०- 983.024.00

दिनांक 01.03.2012 तक

योग

983.024.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार देय धनराशि ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड इन्स्टीट्यूट, सेक्टर-4, वसुन्धरा शाखा, गाजियाबाद के परिषद खाते में उपरोक्त तिथि तक अवश्य जमा करानी होगी एवं किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 19 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देय होगा। प्रदेशन पत्र के द्वारा वांछित धनराशि एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि में करनी होगी अन्यथा भूखण्ड का प्रदेशन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा। शेष शर्तें निम्नवत् हैं -

- अ. परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमत्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष है।

- ब. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का एफ0ए0आर0 2.50 अनुमत्य होगा।

- स. विद्युत/ट्रांसफार्मर का व्यय स्वयं क्रेता को व्यय करना होगा।

- द. भूखण्ड का कब्जा रजिस्ट्री उपरान्त देय होगा। सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पत्र पर नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक 01.03.2012 तक इस कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा रु०- 50.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा कराने की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रु०-50.00 प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक रख-रखाव शुल्क भी देय होगा। नीलामी सम्बंधी विनियमावली एवं प्रदेशन सम्बंधी विनियमावली के नियम व शर्तें लागू होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं स्वीकार होगा।

- य. समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय

उप आवास आयुक्त

सम्पत्ति प्रकल्पक/उप आवास आयुक्त

वसुन्धरा, गाजियाबाद

आवंटी द्वारा दिनांक 01.03.2012 तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची :-

1. कब्जे से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी शासनादेश के अनुसार एवं रु०-100.00 का स्टाम्प पेपर जमा करें। स्टाम्प पेपर की गणना समय-समय पर शासन के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 2.2 से 5 नग साईट प्लान प्राप्त कर जमा करावें।
3. राजपत्रित अधिकारी से दो फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जमा करें। कम्पनी/संस्था की दशा में प्रभार प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।
4. रु०-50.00 फी-होल्ड पुस्तिका शुल्क जमा करा पुस्तिका कार्यालय से प्राप्त करें।
5. रु०-10.00 के स्टाम्प पेपर पर फी-होल्ड शपथ पत्र